न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2023 (डूंगरपुर डिक्री)

1. शाहीरखान पुत्र अमानुन्ला खान, जाति मुसलमान, निवासी मोहल्ला घाटी शहर, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (महरूम मेहरून्नीसा का पुत्र)
2. श्रीमती शमसुन्नीसा पत्नी न्याज मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी मोहल्ला घंटी, चमनपुर शहर, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (पुत्री हबीबगुल खां)
3. शेरखान पुत्र अमानुन्ला खान (महरूम मेहरून्नीसा का पुत्र)
4. सगीरखान पुत्र अमानुन्ला खान (महरूम मेहरून्नीसा का पुत्र)
5. श्रीमती मुन्तजा बानु उर्फ मुर्तजा बानु पुत्री अमानुन्ला खान, जाति मुसलमान (महरूम मेहरून्नीसा का पुत्र)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. आजाद खां पुत्र महरूम हबीबगुल खां, जाति मुसलमान, निवासी गलियाकोट, तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती खेरून्नीसा पत्नी स्वर्गीय हबीबगुल खां, जाति मुसलमान, निवासी गलियाकोट, तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्रीमती जेबुन्नीसा पत्नी हमीद हुसैन, जाति मुसलमान, निवासी आसोडा, तहसील गढ़ी, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य भूमिधारी तहसीलदार, गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी
गलियाकोट दिनांक 28.03.2018 प्र.सं. 2/13
प्रार्थना पत्र प्र.सं. 1/2023 दिनांक 20.01.23

———/———

उपस्थित :– 1– श्री संजीव भटनागर अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री नरेश कलाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1

———::———

निर्णय दिनांक 21–08–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 2 वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माता है। वादी संख्या 1 की बहन वादी संख्या 2 की प[illegible]न्नीसा की मृत्यु हो चुकी है। मेहरून्नीसा व शमसुन्नीसा का विवाह डू[illegible] एवं जेबुन्निसा का विवाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:05 IST
Reason: SelfAttested

आसोडा गावं में हुआ है एवं वे अपनी ससुराल में रहती हैं। वादी संख्या 1, मेहरून्नीसा, शमसुन्नीसा, जेबुन्निसा पिता एवं वादी संख्या 2 के पति श्री हबीबगुल खां के खाता संख्या 679/624 की आराजी नंबर 125, 132, 133/1, 133/2, 134, 674, 676, 677, 679, 682, 684, 685, 687, 689, 690, 691, 701, 702, 704/2 कुल किता 19 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा भूमि मौजा गलियाकोट में स्थित है, जिनकी मृत्यु होने के बाद नामान्तरकरण 1532 के जरिये उक्त आराजी वादीगण व वादी संख्या 1 की तीनों बहनों के नाम भूमि हिस्सा बराबर से राजस्व रेकार्ड दर्ज हो गयी है, जो अवैध है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मुसलमान होने से सुन्नी मुस्लिम विधि से शासित होते हैं, जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का एक युनिट मानकर 1/8 हिस्सा एवं शेष 7/8 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज किया जाना चाहिए तथा मेहरून्नीसा की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान का स्वर्गीय हबीबगुल की सम्मपत्ति में कोई हक नहीं बनता है। अतः खाता संख्या 679/624 की कुल आराजियात 19 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा में 7/8 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर स्वर्गीय मेहरून्नीसा का नाम खाते से हटाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को एक युनिट मानते हुए उनका 1/8 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

दौराने वाद कार्यवाही प्रतिवादी द्वारा आदेश 1 नियम 10 एवं 13 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया गया, जो स्वीकार किया जाकर स्वर्गीय मेहरून्नीसा के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय ने वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित खाता संख्या 679/624 के कुल खेत 19 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा में 7/8 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया तथा स्वर्गीय मेहरून्नीसा का नाम खाते से हटाने का आदेश देते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को एक युनिट मानकर 1/8 हिस्सा घोषित किया।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित किये जाने के कारण उनकी ओर से आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.01.2023 को खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13.02.2023 को प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:05 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री नरेश कलाल उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में अपना अधिवक्ता श्री आजाद शाह को नियुक्त कर रखा था, जिन्होंने आवश्यकता होने पर सूचना देने का कथन किया था, लेकिन वकील की ओर से उन्हें कोई सूचना नहीं दी गयी। अपीलान्ट संख्या 1 अपनी आजीविका के लिए सन् 2019 से 2021 तक कुवैत में रहा तथा उस वक्त कोविड की महामारी के कारण अपीलान्ट भारत वापस नहीं आ सका एवं अपीलान्ट संख्या 2 बीमार होने से हिम्मतनगर में उपचार करा रही थी तथा कोविड के कारण विलम्ब हुआ, जिस कारण अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.01.2018 को अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दे दिया एवं दिनांक 28.03.2018 को एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी गयी। उक्त एकतरफा डिक्री की कोई सूचना अपीलान्टगण को नहीं दी गयी। जानकारी होने पर उक्त एकतरफा डिक्री को अपास्त करने की दरखास्त की, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त दरखास्त को आदेश दिनांक 20.01.2023 से खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय की समस्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। विवादित आराजियात अपीलान्टगण के पुश्तैनी सम्पत्ति हैं, यदि उन्हें नहीं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो उन्हें भारी क्षति होगी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2018 अपास्त की जाकर तत्पश्चात् दिनांक 20.01.2023 को पारित निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2018 एवं तत्पश्चात् आदेश 9 नियम 13 जा.दी. में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2023 को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:05 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 में विवादित खाता संख्या 679/624 के कुल खेत 19 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा भूमि हबीबगुल पिता अमीर खां मुसलमान के खातेदारी में दर्ज है एवं हबीबगुल के फोत होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1532 हबीबगुल के पुत्र आजाद खां, पुत्री मेरून्नीसा, शमशुन एवं जेबुन तथा पत्नी खेरून्नीसा के नाम स्वीकृत हुआ है। राजस्व रेकार्ड एवं स्वयं वादीगण के वाद अनुसार विवादित आराजियात हबीबगुल की खातेदारी की होने के संबंध में पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है, प्रश्न यह है कि हबीबगुल की मृत्यु होने पर जो विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1532 स्वीकार हुआ वह विधिक हैं अथवा नहीं। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए मात्र वादीगण के कथनानुसार मुस्लिम विधि अुनसार विवादित आराजियात में हबीबगुल की मृतक पुत्री मेरून्नीसा का नाम हटाने का आदेश दे दिया तथा हबीबगुल की अन्य दो पुत्रियों जबुन्नीसा एवं शमसुन्नीसा को एक युनिट मानते हुए मात्र 1/8 हिस्सा तथा शेष 7/8 हिस्से का खातेदार वादीगण को घोषित कर दिया है, जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2018 एवं प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. में पारित निर्णय 20.01.2023 अपास्त किये जाते हैं तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:05 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर